



विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
वाइज़-किरण प्रभाग

महिला संस्थानों में नवाचार एवं उत्कृष्टता हेतु विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन (क्यूरी)

क्यूरी कार्यक्रम (2022-23) के अंतर्गत महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के लिए प्रस्ताव आह्वान

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के “नवाचार एवं उत्कृष्टता हेतु विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन (क्यूरी)” कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता पर विचार करने के लिए ‘महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालयों’ से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य नए और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने और महिला शैक्षिक संस्थानों में नई प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग विभागों को बुनियादी ढांचा और सक्षम सुविधाएं प्रदान करना है।

सहायता का प्रकार: महिला पीजी कॉलेजों के प्रस्तावों पर 3 साल के लिए एस एंड टी विभागों को शिक्षण के साथ-साथ अनुसंधान सुविधाओं के लिए अधिकतम 150 लाख रुपये तक की सहायता के लिए विचार किया जाएगा। यह योजना स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान के लिए इष्टतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी, जैसे मौजूदा प्रयोगशाला स्थान का नवीनीकरण (कोई नया निर्माण नहीं), शिक्षण और अनुसंधान में शामिल प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, आवश्यक उपकरणों का अधिग्रहण, मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस सहित नेटवर्किंग और कम्प्यूटेशनल सुविधाएं, वैज्ञानिक पुस्तकें (जर्नल नहीं), मौजूदा और नई सुविधाओं का रखरखाव और नवीनीकरण आदि। इस कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई सुविधाओं का उद्देश्य समग्र रूप से कॉलेजों के प्रयासों का समर्थन करना है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत अनुसंधान एवं विकास सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अवधि: प्रत्येक परियोजना के लिए सहायता की अवधि 3 साल के लिए होगी।

पात्रता: स्नातकोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों की अपेक्षानुसार कॉलेज को सहायता प्रदान की

जाएगी। ऐसे सभी विज्ञान विभाग वाले महिला महाविद्यालय, जिनमें सुदृढ़ स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम चलते हैं, और जो कम से कम 3 साल या उससे अधिक समय से संचालित हैं, इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं। कॉलेज को न्यूनतम बी ग्रेड के साथ नैक द्वारा मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

चयन: चयन एक श्रेष्ठ समीक्षा प्रणाली, प्रस्तुति और महाविद्यालय के दौरे (यदि आवश्यक हो) के माध्यम से होगा। एक विशेषज्ञ समिति अंतिम चयन करने में डीएसटी की सहायता करेगी। यदि आवश्यकता होती है तो कॉलेज को अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत करनी हो सकती है।

आवेदन कैसे करें: पात्र महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालयों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिसे www.dst.gov.in और onlinedst.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है जिन्हें **28 फरवरी, 2023** या उससे पहले ई-पीएमएस (onlinedst.gov.in) पर जमा किया जाना चाहिए।

अपूर्ण प्रस्ताव या प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में नहीं है और नियत तिथि के बाद प्राप्त प्रस्ताव को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और इस संबंध में विभाग के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। सफल महाविद्यालयों के नाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।

कृपया अधिक सहायता के लिए श्री पवन कुमार, वैज्ञानिक, वाइज़-किरण प्रभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली-110016 को ईमेल: pawan.kumar@mc.in करें।